न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 84/2018

निर्णय दिनांक :31.10.2019

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री गोपाल लाल, जाति ब्राह्मण, उम्र करीबन 38 वर्ष, निवासी–सी–ब्लॉक, नारायण विहार, ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
2. जेडीए जयपुर जरिए सचिव जेडीए जयपुर।
3. नन्दलाल पुत्र स्व श्री सेडूराम उम्र करीब 52 वर्ष
4. गोपाल पुत्र स्व श्री सेडूराम उम्र 47 वर्ष, निवासीयान ग्राम पृथ्वीसिंह उर्फ नाईवाला पटवार हल्का महापुरा, भू0अभि0 नि0 क्षे0 मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी करवाने हेतु

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीसिंह उर्फ नाईवाला पटवार हल्का महापुरा, भू0अभि0 नि0 क्षे0 मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। तथा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 161/523 की भूमि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि है। आराजी खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीसिंह उर्फ नाईवाला के अनुसार उक्त भूमि के पूर्व में अन्य की भूमि, पश्चिम में खसरा नम्बर 161 की भूमि, उत्तर में आनन्द विहार आवासीय योजना, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2002 को रिकॉर्ड खातेदार द्वारा क्रय की गई है। और क्रय करने की दिनांक से वादी विवादित भूमि के मौके पर काबिज होकर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। विवादित भूमि को प्रार्थी द्वारा उपजाऊ व समतल कराया गया है और काश्त किया जाता हैं। किन्तु पडौसी खातेदार नन्दलाल, गोपाल व उनके परिवारजन प्रार्थी की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहे है। जिन कारणों के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से उक्त भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान कार्यवाही करवाई गई और दिनांक 28.11.2014 को मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही की जाकर सीमाचिन्ह कोना कायम किये गये और प्रार्थी को सीमाज्ञान कराया। इससे पूर्व भी दिनांक 05.11.2004 की पालना में मौके पर सीमाज्ञान कार्यवाही की गयी थी और दोनों सीमाज्ञान कार्यवाही के दौरान सीमा चिन्ह सही पाये गये। और प्रार्थी को मौके पर सीमा ज्ञान कराये गये। इसके बावजूद भी मौके पर पत्थरगढी नही होने के कारण प्रकरण की भूमि के सम्बन्ध में सन्देह की स्थिति बनी रहती है। और पडौसी काश्तकारों द्वारा आपत्ति की जाती रही है और सीमा के सम्बन्ध में विवाद किया जाता है। जिन तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण की भूमि के सम्बन्ध में पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। वर्तमान में विवादित भूमि के मौके पर कोई फसल काश्त नही हुयी है। तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर पत्थरगढी की कार्यवाही की जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कागजी कार्यवाही निष्पादित करने के लिए एवं खर्चा वहन करने के लिए प्रार्थी तैयार एवं तत्पुर है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीसिंह उर्फ नाईवाला पटवार हल्का महापुरा, भू0अभि0 नि0 क्षे0 मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रा. पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल है। दिनांक 25.04.2019 को वकील प्रार्थी उपस्थित, प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् नन्दलाल पुत्र स्व सेडूराम एवं गोपाल पुत्र स्व सेडूराम को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने का पेश किया है जिसको स्वीकार किया जाकर नन्दलाल व गोपाल को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पर पदस्थापित किया जाता है। दिनांक 24.05.2019 को पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नही करने पर वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। दिनांक 23.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की आरे से लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि पर कोई सीमाविवाद नही है। वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है। दौराने सीमाज्ञान पडौसी काश्तकारों के सीमाचिन्ह सही पाये गये है। इससे स्पष्ट है कि सीमाओं के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

हमने वकीलप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण की ओर से पेश लिखित बहसों मे अंकित तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम ग्राम पृथ्वीसिंह उर्फ नाईवाला पटवार हल्का महापुरा, भू0अभि0 नि0 क्षे0 मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान स्थित खसरा नम्बर 161/523 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 3.39 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.71 हैक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट 28.11.2014 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2019.11.18 18:41:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: